

Up10901



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jidajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4716

दिनांक:- 17/11/2022

:-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन पूर्व बैठक दिनांक 02.11.2022 को उपायुक्त (पूर्व) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 135, 135/1, रकबा 22839.02 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
5. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन की क्षमता की टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर मानचित्र में नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 191 रकबा 20016.80 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. ले-आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
5. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन की क्षमता की टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त कर मानचित्र में नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर व तदोपरान्त जोनल प्लान अनुसार 12 मीटर सडक मार्गाधिकार का प्रावधान किया जावे।
6. प्रश्नगत भूमि के पश्चिम दिशा में जोनल प्लान अनुसार 18 मीटर सडक मार्गाधिकार रखा जाना होगा।
7. प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य जोधपुर जयपुर का सडक मार्गाधिकार जोनल प्लान अनुसार 48 मीटर रखा जाना होगा।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 192 रकबा 6353.15 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रतिज्ञा सोनी
तहसीलदार

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशाषी अभियन्ता

27/11/22

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रश्नगत भूमि का अधिकांश भाग के भू-उपयोग में आवासीय योजना अनुज्ञा नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया-

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 601 का कार्यालय एडीएमएलसी जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 87 कुल बनाप 1733.33 वर्गगज में से भूखण्ड संख्या 87-ए बनाप 133.33 वर्गगज का उपविभाजन करने बाबत।

निर्णय :-समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में स्वामित्व व अवाप्ति संबंधित रिपोर्ट कि सुनिश्चितता जोन स्तर से करते हुए तथा मुल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्ड का नवीन पट्टा विलेख जारी किए जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रार्थि को उक्त निर्णय के संबंध में सूचित किया जाना होगा।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	विजयाराजे नगर योजना का कार्यालय जोविप्रा. जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी-3 बनाप 1040.48 वर्गमीटर व भूखण्ड सी-4 1040.48 वर्गमीटर कुल बनाप 2080.96 वर्गमीटर का पुनर्गठन करने बाबत।

निर्णय :-समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जारी नाम हस्तान्तरण आदेश व राज्य सरकार पत्र दिनांक 28.07.2022 के क्रम में संयुक्तिकरण करने का निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम नान्दडी के सजन लीला विहार के खसरा संख्या 136, 138, 139, 142 व 145 रकबा 295209.49 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया :-

प्रश्नगत भूमि का अधिकांश भाग के भू-उपयोग स्पेशल एरिया प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 रिपोर्ट अनुसार स्पेशल एरिया क्षेत्र के भू-उपयोग का निर्धारण राज्य सरकार स्तर पर किया जान अपेक्षित है। अतः प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग निर्धारण की कार्यवाही उपरान्त प्रकरण में तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।

तहसीलदार (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

मध्यमिती समिति (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4717 - 4722
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (पूर्व)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक: 17/11/22